(c) the number of food processing industrial units in Tamil Nadu;

(d) whether there are any proposals to open new units in the State; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) While information in regard to the number of all food processing industries are not maintained centrally, there are 3222 fruit and vegetable processing units and 577 sweetened aerated water units registered under FPO, 299 fish processing units and 131682 rice mills and 583 roller flour mills as on 1-1-92. Besides, as per census conducted by the DC(SSI) Office, there are 96123 small units manufacturing food products as on 31-3-1988.

(b) As per census conducted by DC(SSI), there are 96123 small scale units manufacturing food products, which were functioning and 34321 units were closed. The foreign exchange earnings from exports from this industry was Rs. 1376.33 Cr. in 1988-89, Rs. 1525.52 Cr. in 1989-90 and Rs. 1867.03 Cr. in 1990-91.

(c) 314 fruit and vegetable processing units and 35 sweetened aerated water units are registered under FPO. Besides, there are 31 fish processing units, 18228 rice mills and 53 roller flour mills. 3 LOIs have also been issued for setting up of F & VP units in Tamilnadu.

(d) and (e) The Ministry of Food Processing Industries does not directly set up units in any State. Food Processing units are set up in private sector|cooperative sector|joint sector and by State Government Undertaking. Assistance is provided to the State Government organisations|cooperatives|voluntary agencies for setting up of such units in the States under the Plan Schemes formulated by this Ministry.

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लघु उद्योग

2365. श्री राम अवधेश सिंह: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को आम, आलू और टमाटर से पेय, चिप्स तथा अचार बनाने के लिए लघु उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो किस तरह तथा क्या सरकार उत्पादन के इस क्षेत्र में कार्यरत बहुराष्ट्रिक कम्पनियों पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिज गोमांगो): (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों में लघु, बहुत छोटे और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 6 अगस्त, 1991 को नीति उपायों की घोषणा की थी। विदेशी प्रौद्योगिकी करार का स्वतः अनुमोदन और प्रेस नोट संख्या 10 (1991 सिरीज़) के परिशिष्ट-III में उल्लिखित उदार औद्योगिक नीति के अधीन स्वीकृत 51 विदेशी इक्विटी भागीदारी अनुसूची 3 में शामिल लघु सेक्टर के लिए आरक्षित वस्तुओं पर लागू नहीं होती। फल उत्पाद आदेश के अधीन लाइसेंस दिये गये अधिकांश फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट लघु और कुटीर स्तर के सेक्टर की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कोई मान्य परिभाषा नहीं है, परन्तु विदेशी इक्विटी वाली भारत में पंजीकृत कम्पनियों को भी आम, टमाटर, आलू के प्रसंस्करण द्वारा पेय, चिप्स आदि तैयार करने की अनुमति दी गई हैं क्योंकि अच्छी प्रौद्योगिकी से मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने के लिए फलों और सब्जियों के उपयोग की काफी गुंजाइश है।